बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संसं०–ल०सिं०मो०–अनियमितता–211/2020– 1346(मो०) /पटना, दिनांक– 29/6/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर।

विषयः– **सीतामढ़ी जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् रीगा प्रखण्ड के पंछोर ग्राम में बिना अतिक्रमण हटाये पोखर के उड़ाही कार्य में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **श्री अनूठा लाल पंडित, कुसमारी पंचायत, पो0–खरसान, भाया–रीगा, जिला सीतामढ़ी से प्राप्त आवेदन संख्या–शून्य, दिनांक–13.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री अनूठा लाल पंडित, कुसमारी पंचायत, पो0–खरसान, भाया–रीगा, जिला सीतामढ़ी** ने सूचित किया है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखण्ड के पंछोर ग्राम में अवस्थित सार्वजनिक पोखर में जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् क्रियान्वित हो रही योजना के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती जा रही है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना का कार्य यदि प्राक्कलन विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा एवं बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करें तथा दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
27/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1346(मो०) /पटना, दिनांक–29/6/2020

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1346(मो०) /पटना, दिनांक–29/6/2020

प्रतिलिपि– श्री सुबोध कुमार एवं अन्य सभी मछुआरा ग्रामवासी, महादेवन पट्टी प्रखण्ड, जिला–सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\E.E SITAMARHI-J.J.H.A- BLOCK RIGAA.DOCX

29/6/20

15

15
-06-2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

अनुश्रवण कोषांग (मुख्यालय)

लघु जल संशाधन विभाग

बिहार सरकार पटना.

विषय :- रीगा प्रखंड अंतर्गत पंछोर ग्राम में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत विनाअतिक्रमण हटाए पोखर का जैसे तैसे उड़ाही कराये जाने के संभंध में |

महाशय,

उपयुक्त विषय के संभंध में हमे कहना है की पंछोर ग्राम स्थित सार्वजनिक पोखर का रकवा 7.24 एकड़ है | जिसमे चारो तरफ करीब डेढ़ से दो एकड़ जमीन पर वर्षो से नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है | इस अतिक्रमण को हटाने हेतु अंचल अधिकारी रीगा को दर्जनों बार आवेदन देकर समूह में मिलकर अनुरोध किया गया | परन्तु अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटने हेतु अपने स्तर से कोई करवाई नही की |

इस बिच जल जीवन "हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिचाई विभाग द्वारा पोखर उड़ाही का कार्य 1.02 करोड़ की लागत से ठिकदार द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया गया है प्राकल्लन के अनुसार काम नहीं हो रहा है | ठिकदार द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है वह पोखड़ का मिटटी काटकर भिंडा बनाने के वजाय उस मिटटी को आम जनता के माध्यम से 500 रु प्रति टेलर बेच रहा है |

उल्लेखनीय है की सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था की अतिक्रमित विभिन्न जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराकर काम कराया जायेगा |

अतः सदर अनुरोध है की पूरे मामले की सतह पर जाँच कराकर सरकारी पोखर के करीब डेढ़ दो एकर जमींन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर ही प्राकल्लन के अनुरूप पोखड़ का उड़ाही कार्य कराया जाये |

(Form programme)
20.6
1876

2813 (मो०)
18-06-2020

विश्वासभाजन

अनूठा लाल पंडित
कुसमारी - (पँचायत)
पो० - खरसान
थाना - रीगा
सीतामढ़ी
मो० - 9525662762.
दिनांक - 13-06-2020.